



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2025-2026/0016

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति सत्र 2021-22 के आधार पर B. R. Khokhar Memorial Shikshan Sansthan, Kuchaman City, Didwana-Kuchaman द्वारा संचालित **B. R. Khokhar Memorial Mahavidyalaya, Station Road, vpo Palara, Kuchaman City, Didwana-Kuchaman** को सत्र 2025-2026 से स्थान परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है। स्थान परिवर्तन पश्चात् महाविद्यालय का वर्तमान नाम एवं पता निम्नानुसार रहेगा।

" B. R. Khokhar Memorial Mahavidyalaya, Padampura Road, Kuchaman City, Didwana-Kuchaman -341508 "

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मान. उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, डीडवाना कुचामन ।
4. कुल सचिव, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. संबंधित संस्था / महाविद्यालय ।
6. रक्षित पत्रावली ।



Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Date: 2025.09.26 12:32:00 IST
Reason: SelfAttested



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2025-2026/0017

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक: 98 दिनांक- 15.10.2020 द्वारा " **The Global Management and Technology Sansthan, Station Road, vpo Palara, Kuchaman City, Didwana-Kuchaman**" को सत्र 2020-21 से नवीन महाविद्यालय " **B. R. Khokhar Memorial Mahavidyalaya, Station Road, vpo Palara, Kuchaman City, Didwana-Kuchaman**, " प्रारम्भ करने हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, का प्रबन्ध अन्तरण सत्र 2025-2026 से " **The Global Management and Technology Sansthan, Station Road, vpo Palara, Kuchaman City, Didwana-Kuchaman** " से " **B. R. Khokhar Memorial Shikshan Sansthan, Kuchaman City, Didwana-Kuchaman**" के पक्ष में किया जाता है।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2025-2026/0017

दिनांक -25-09-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मान. उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, डीडवाना कुचामन।
4. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
5. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली



Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Date: 2025.09.26 12:33:18 IST
Reason: SelfAttested



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2025-2026/0010

आदेश

संस्था The Global Management and Technology Sansthan, Station Road, vpo Palara, Kuchaman City, Didwana-Kuchaman द्वारा संचालित Global College, Station Road, VPO-Palara, Kuchaman City, Didwana-Kuchaman को महाविद्यालय नाम परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः महाविद्यालय का नवीन नाम B. R. Khokhar Memorial Mahavidyalaya, Station Road, VPO-Palara, Kuchaman City, Didwana-Kuchaman होगा ।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मान. उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव,, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, डीडवाना कुचामन ।
5. कुल सचिव, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रायली ।



Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa

Date: 2025.09.12 15:31:44 IST

Reason: SelfAttested



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2025-2026/0009

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत के लिए सत्र 2025-2026 से स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय / विषयों में स्थाई अनापति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संचालक संस्था : The Global Management and Technology Sansthan, Station Road, vpo-Palara, Kuchaman City, Didwana-Kuchaman

महाविद्यालय का नाम : B. R. Khokhar Memorial Mahavidyalaya, Station Road, vpo-Palara, Kuchaman City, Didwana-Kuchaman, Ajmer Division 341508

सम्बद्ध विश्वविद्यालय :Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer

पूर्व संचालित संकाय/ विषय : Arts स्नातक- Bachelor of Arts Geography, Drawing & Painting, History, Political Science, ENGLISH LITERATURE, HINDI LITERATURE Science स्नातक- Bachelor of Science Botany, Chemistry, Mathematics, Physics, Zoology

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ प्रवेश-प्रक्रिया समाप्त होने पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./ राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. स्थाई मान्यता प्राप्त संस्थाएँ गुणवत्ता संवर्धन हेतु NAAC से प्रत्यायन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
7. संस्था द्वारा सावधि जगा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2025-2026 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल WWW.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन।
5. कल सचिव, Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer
6. निजी सचिव सम्बन्धित महाविद्यालय ।
7. कॉलेज शिक्षा की शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Date: 2025.09.12 15:32:50 IST
Reason: SelfAttested

